(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

**Notification No. 14/2025-State Tax(Rate)**

**Dated: 22/09/2025**

No. F.3 (26)/Fin.(Exp-I)/2025-26/DS-I/ 929 - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017) , the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi,on the recommendations of the Council, hereby notifies the rate of the State tax of 6 per cent in respect of goods specified in Schedule appended to this notification, that shall be levied on intra-State supplies of goods, the description of which is specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedule.

SCHEDULE

| *Sl. No.* | *Tariff item, sub-heading, heading or Chapter* | *Description* |
|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* |
| 1. | 6815 | Fly ash bricks; Fly ash aggregates; Fly ash blocks |
| 2. | 6901 00 10 | Bricks of fossil meals or similar siliceous earths |
| 3. | 6904 10 00 | Building bricks |
| 4. | 6905 10 00 | Earthen or roofing tiles |

*Explanation.*— For the purposes of this notification,—

(a) the expressions "tariff item", "sub-heading", "heading" and "Chapter" shall mean respectively a tariff item, sub-heading, heading and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);

(b) the rules for the interpretation of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification;

(c) the words and expressions used and not defined in this notification, but defined in the State Goods and Service Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) and the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), shall have the same meanings as assigned to them in those Acts.

**2.** This notification shall come into force on the 22nd September, 2025.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

**(Mangej Singh)**
**Dy. Secretary (Fin.)**

**No. F.3 (26)/Fin.(Exp-I)/2025-26/DS-I/ 929**

**Dated: 22/09/2025**

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
2. The Secretary to the Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi.
3. The Secretary to Hon'ble Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
4. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
5. S.O to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
6. The Additional Chief Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
7. The Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
8. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
9. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
10. The Director, State Resources Division, Finance Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
11. Website.
12. Guard File.

**(Mangej Singh)**
**Dy. Secretary (Fin.)**

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग-IV में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (व्यय-I) विभाग,
दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली-110002

**अधिसूचना संख्या 14 /2025-राज्य कर (दर)**

**दिनांक: 22/09/2025**

फा0सं0 3 (26)/वित्त(व्यय-I)/2025-26/डीएस-I/ -९२९ दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 9 की उपधारा (1) तथा धारा 15 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर एतद द्वारा इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में 6 प्रतिशत के राज्य कर की दर को अधिसूचित करते हैं, जो उन वस्तुओं की अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर लगाया जाएगा, जिनका विवरण उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट है, जो टैरिफ मद, उप-शीर्षक, शीर्षक या अध्याय के अंतर्गत आता है, जैसा भी मामला हो, उक्त अनुसूची के कॉलम (2) में संबंधित प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट है।

अनुसूची

| क्र. सं. | टैरिफ मद, उप-शीर्ष, शीर्ष या अध्याय | विवरण |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | 6815 | फ्लाई ऐश ईंटें; फ्लाई ऐश समुच्चय; फ्लाई ऐश ब्लॉक |
| 2. | 6901 00 10 | जीवाश्म भस्म या वैसी ही सिलिकामय मिट्टी की ईंटें |
| 3. | 6904 10 00 | निर्माण ईंटें |
| 4. | 6905 10 00 | मिट्टी या छत की टाइलें |

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,—

(क) "टैरिफ मद", "उप-शीर्ष", "शीर्ष" और "अध्याय" पदों का क्रमशः वही अर्थ होगा जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट टैरिफ मद, उप-शीर्ष, शीर्ष और अध्याय का है;

(ख) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची की धारा और अध्याय नोट्स तथा पहली अनुसूची के सामान्य व्याख्यात्मक नोट्स सहित व्याख्या के नियम, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना की व्याख्या पर लागू होंगे;

(ग) इस अधिसूचना में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए, किन्तु दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03), एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) और संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) में परिभाषित शब्दों और पदों का वही अर्थ होगा जो उन अधिनियमों में उन्हें नियत किया गया है।

**2.** यह अधिसूचना 22 सितंबर, 2025 को लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल,
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

**(मंगेज सिंह)**
**उप-सचिव (वित्त)**

**फा. सं. 3 (26)/वित्त( व्यय-I)/2025-26/डीएस-I/ 929** **दिनांक: 22/09/2025**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. सचिव, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली।
3. सचिव, माननीय वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली।
4. नि. सं., नेता प्रतिपक्ष, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
5. स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली ।
6. अपर मुख्य सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली।
7. सचिव (सा.प्रशा.वि.), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को इस अनुरोध के साथ आज की तिथि में दिल्ली राजपत्र भाग-IV (असाधारण) में प्रकाशन हेतु।
8. आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली।
9. अपर सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली।
10. निदेशक, राज्य संसाधन प्रभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
11. वेबसाइट।
12. गार्ड फ़ाइल ।

मंगेज सिंह

**(मंगेज सिंह)**
**उप-सचिव (वित्त)**